न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

RAAJodhpur2019-00367RTA225 2019-192 Motidas Vs Poonamdas n ors

1. मोतीदास पुत्र प्रभुदास, जाति वैष्णव, निवासी-ओलवी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर **अपीलाण्ट्स...**

ब

ना

म

1. पूनमदास पुत्र खाकीदास
2. बालकिशन पुत्र खाकीदास
3. अयोध्या पुत्री खाकीदास
   हाल- मुख्य पोस्ट सायला तहसील सायला जिला जालोर
4. सोवनी पत्नी खाकीदास हाल- मोदियो की पोल, सोजत जिला पाली।
5. मोटूदास पुत्र बंशीदास उर्फ बंशीलाल
6. गोविंददास पुत्र बंशीदास उर्फ बंशीलाल
7. छोटूदास पुत्र बंशीदास उर्फ बंशीलाल
8. बुलदास उर्फ शांतिदास पुत्र बंशीदास उर्फ बंशीलाल
9. गंगादेवी पुत्री बंशीदास उर्फ बंशीलाल
   हाल- मुख्य पोस्ट पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली।
10. परमादेवी पुत्री बंशीदास उर्फ बंशीलाल
    हाल- मुख्य पोस्ट चांदेलाव, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
11. सुजीदेवी पुत्री बंशीदास उर्फ बंशीलाल
    हाल- मुख्य पोस्ट बाला, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
12. किस्तूरी देवी पुत्री बंशीदास उर्फ बंशीलाल
    हाल- सीकर रोड़ न्यू कॉलोनी, सातपथ संस्कृति चिल्ड्रन स्कूल के पास, 52/1 जयपुर।
13. नंदकिशोर पुत्र मिश्रीदास
14. भागीरथ पुत्र मिश्रीदास
15. सम्पतदास पुत्र मिश्रीदास
16. कमला देवी पुी मिश्रीदास
    हाल- मुख्य पोस्ट दुदियाा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
17. कन्हैयादेवी पत्नी मिश्रीदास जाति वैष्णव निवासी ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
18. सरकार जरिये तहसीलदार/पदेन उप पंजीयक बिलाड़ा जिला जोधपुर।
19. बीरबलराम पुत्र बलदेवराम, विश्नोई निवासी ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

20. राज्य सरकार जरिये सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा जिला जोधपुर। रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा दिनांक 17 अक्टूबर 2019 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2017 मोतीदास बनाम पूनमदास व अन्य

उपस्थित-

श्री नरेन्द्र परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या बीस

रेस्पोडेंट संख्या एक से उन्नीस बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 04 अक्टूबर 2021

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2018 मोतीदास बनाम पूनमदास वगैरह में पारित आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 04 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा जिला जोधपुर में इस आशय का पेश किया कि गांव ओलवी तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नं. 120 रकबा 69 बीघा 14 बिस्वा खसरा नं. 315 रकबा 29 बीघा 9 बिस्वा खसरा नं. 417 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 124 बीघा 10 बिस्वा, गांव ओलवी की खाता संख्या 66 के खसरा नं. 78 रकबा 11

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बीघा 15 बिस्वा खसरा नं. 106 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा खसरा नं. 385 रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा आई हुई है। उपरोक्त भूमि का चारो पक्षकारों का बहिस्सा करीबन बराबर रहा है एवं पक्षकारान् ने आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा आज से करीब 30 बर्ष पूर्व कर सभी पक्षकारन अपने अपने हिस्से पर अलग-अलग काश्त करते चले आ रहे है, जिसके अनुसार प्रत्येक पक्षकार के हिस्से 43 बीघा 4 बिस्वा भूमि बनती है, परन्तु खाता संख्या 67 की भूमि जो 124 बीघा 10 बिस्वा है को अपीलांट व उसके भाई बंशीलाल फौत व मिश्रीदास -फौत के हिस्से में रखी गई। व खाता संख्या 66 की संपूर्ण भूमि जो 48 बीघा 7 बिस्वा को अपीलांट के भाई मृतक खाकीदास के बंट में रखी गई जिस पर उनके उत्तराधिकारी काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता व अप्रार्थी संख्या 4 के पति खाकीदास को अप्रार्थी गोविंददास ने बहला फुसलाकर उक्त भूमि जो खाकीदास के बंट व हिस्से में कभी नही रही गलत रूप से उक्त भूमि 124 बीघा 10 बिस्वा में अपना हिस्सा बताकर दिनांक 30.10.2014 को बेचान निष्पादित करवा दिया जिसकी जानकारी प्रार्थी व अन्य परिजनों को नही होने दी एवं उक्त बैचान के पश्चात् भी अपीलांट को अपने हक हिस्से में कभी दखल नहीं दिया गया। वर्तमान में भी अपीलांट के बंट में आये खेत खसरा नं. 120 रकबा 69 बीघा 14 बिस्वा में 35 बीघा भूमि पर अपीलांट का कब्जा है जिसके पड़ोस निम्न प्रकार है उत्तर व दक्षिण में मिश्रीदास के वारिसान के बंट की भूमि है, बीच वाला हिस्सा पूर्व से पश्चिम 35 बीघा अपीलांट के कब्जे व बंट में आया हुआ है। उक्त खेत खसरा नं. 120 के उत्तर व पूर्व में बीरमराम, डूंगरराम बचनाराम माली के खेत आये हुए है। पश्चिम की तरफ फुसाराम वगैरह का खेत है व बाद में रास्ता है। इसी तरह खेत खसरा नं. 417 रकबा 8 बीघा भूमि प्रार्थी के बंट में आई हुई जो खेत पूर्व में प्रहलादराम का खेत है दक्षिण में डूंगरराम वगैरह का खेत है। उत्तर में रखाराम का खेत है व पश्चिम में अन्य रेस्पोडेंट का खेत छोड़कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बाद में कुछ ही दूरी पर रास्ता है अपीलांट के बंट में आये खेत जो खसरा नं. 120 में स्थित है। वर्तमान में चने की फसल बोई गई है तथा प्रार्थी झौपड़ी बनाकर रहवास कर रहा है। रेस्पोडेंट गोविंद ने अपीलांट के भाई खाकीदास को बहला फुसलाकर दिनांक 30.10.2014 को बाले-बाले बेचान की रजिस्ट्री कपटपूर्वक तरीके से करवा ली एवं जिसका राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाकर तत्पश्चात् बदनियति से एक वाद बंटवाड़ा का उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के न्यायालय में पेश किया जहां से दिनांक 20.12.2016 को वादी के सम्मन अपीलांट के लिए जारी हुए, जिसकी तारीख पेशी दिनांक 11. 01.2017 मुकर्रर थी। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र को पढवाया तो अपीलांट को रेस्पोडेंट गोविंददास द्वारा कपटपूर्वक तरीके से बेचान रजिस्ट्री की जानकारी हुई एवं अपीलांट ने उक्त बैचान रजिस्ट्री की नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 13.02.2017 को प्राप्त हुई। उक्त कपटपूर्वक बैचान रजिस्ट्री के संबंध में अपीलांट को जानकारी हुई चुंकि मृतक खाकीदास जो अपीलांट का भाई था उसका बैचान की गई भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं था इसके संबंध में पूर्व में भी एक प्रकरण जिसमें मृतक खाकीदास ने बेचान की गई भूमि में अपना हक हिस्सा नहीं होना स्वीकार किया था चूंकि बैचान के पश्चात् खाकीदास की मृत्यू हो गई जिस कारण अपीलांट अपने उक्त भाई की इस कपटपूर्वक की गई कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं होने दी। अपीलांट के भाई खाकीदास की मृत्यू के पश्चात् रेस्पोडेंट गोविंददास ने अन्य रेस्पोडेंट को बहला फुसलाकर अपीलांट के खिलाफ कर लिया है एवं उनको भी नाजायज प्रलोभन दिखाकर अपीलांट के हक हिस्से में दखल करवाना चाहता है जो पूर्ण रूप से अन्यायकारी है। जिस कारण उक्त अन्य पक्षकारों को भी वाद में प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। चूंकि बेचान विधिक रूप से पूर्ण नही हुआ एवं जो कब्जा सभी पक्षों का अलग-अलग लम्बे अंतराल सें चला आ रहा है उसका खण्डन नही किया जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सकता जिस कारण उक्त बेचान अपीलांट के हक हितो के विरुद्ध शून्य व बेअसर है। अपीलांट का अधिकार संपति का अधिकार ऐसे बैचान से समाप्त नहीं किया जा सकता । रेस्पोडेंट बलपूर्वक अपीलांट को अपना हक हिस्सा की भूमि जो 30-35 वर्षो से अलग बंटवाड़ा प्राप्त कर काश्त कार्य करता आ रहा है एवं रेस्पोडेंट गोविंद द्वारा जो कपटपूर्वक बैचान बिना कब्जे के आधार पर करवाकर अपीलांट की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है एवं अपीलांट को हर हाल में अपने हिस्से की भूमि पर काश्त नहीं करने दिया जा रहा है एवसं खून खराबा करने पर आमादा है। अपीलांट एक वृद्ध एवं अपंग व्यक्ति है जिस कारण लाठी लकड़ी के बल पर उक्त रेस्पोडेंट का मुकाबला करने में असमर्थ है। वादग्रस्त जमीन को रेस्पोडेंट बदमाश व भू-माफियाओं को बेचान कर अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के हिस्सें की भूमि का रिसीवर तहसील बिलाड़ा को नियुक्त कर कब्जा दिलाया जावे, जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रह सके व वाद विचारण तक वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण भूमि का बैचान नही करने हेतु रेस्पोडेंट को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किया जावे न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र दर्ज कर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किये गये व उनके द्वारा उपस्थिति नहीं देने पर एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 31.10.2018 को अमल में लायी गई। बाद बहस न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक रूप से स्वीकार किया गया एवं ताफैसला दावा रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध प्रदान किया गया कि ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. 120 रकबा 69 बीघा 14 बिस्वा खसरा नं. 315 रकबा 29 बीघा 9 बिस्वा खसरा नं. 417 रकबा 25 बीसस 7 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में यथास्थिति बनाये रखेंगे। लेकिन न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा की गई रिसीवर नियुक्त करने की प्रार्थना को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वीकार नही किया गया जिससे व्यथित हो अपीलांट के द्वारा उक्त अपील पेश की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि उक्त प्रकरण में सभी रेस्पोडेंट्स की तामील हुई उसके बाद भी उक्त प्रकरण में कोई भी रेस्पोडेंट्स न्यायालय में उपस्थित नही हुआ और न्यायालय ने रेस्पोडेंट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए आदेश किया। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेंट कभी भी कोई भारी हानि अपीलांट व उसके परिवार को पहुँचा सकते है। उक्त प्रकरण के दौरान उपरोक्त जमीन को लेकर रेस्पोडेंट ने प्रार्थी व उसके पुत्र पर जानलेवा हमला भी कारित किया हैं जिसका अलग फौजदारी मुकदमा भी किया गया है, जो लंबित है जिसकी जानकारी भी माननीय न्यायालय को थी इसके बाद भी माननीय न्यायालय ने रिसीवर नियुक्त करने का आदेश न देकर भारी कानूनी भूल की है। रेस्पोडेंट की आपस में मिलीभगत है और उनको उक्त आदेश की पूर्ण जानकारी थी उसके बाद भी रेस्पोडेंट गोविंददास ने अपने पुत्रों व अन्य लोगों के साथ मिलकर दिनांक 07.11.2019 व 11.11.2019 को विवादग्रस्त जायदाद पर मजदूरों की मदद से चारो ओर तारबंदी करने पर आमादा हो गये। ऐसी दशा में उक्त विवादग्रस्त भूमि पर तुरन्त रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया तो माननीय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का कोई औचित्य नहीं रहेगा। अधिनियम की धारा 212 (1) (बी) में यह स्पष्ट बताया गया है कि "That any party to such suit or proceeding threatns or intends to remove or dispose of the said property in order to defeat the end of justice the court may grant a temporary inujunction ind if necessary appoint a receiver" ऐसी परिस्थिति उक्त प्रकरण में थी। इसलिए भूमि की सुरक्षा हेतु रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायसंगत आदेश हो सकता था

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लेकिन न्यायालय ने रिसीवर नियुक्त नही कर भूल की जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 17.10.2019 को संशोधित किया जावे व तहसीलदार बिलाड़ा को विवादग्रस्त आराजी का रिसीवर नियुक्त किया जावे एवं उन्हें निर्देशित किया जावे कि विवादित आराजी को मूल वाद के निस्तारण तक अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का गम्भीरतापूर्वक आद्योपान्त अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2068-2071 ग्राम औलवी तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 67 पुराना खाता संख्या 45 के मुताबिक विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 120 रकबा 69.14 बीघा, खसरा नं. 315 रकबा 29.09 बीघा, खसरा नं. 417 रकबा 25.07 बीघा **अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि है** एवं जमाबंदी संवतः 2068-2071 ग्राम औलवी तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 66 पुराना खाता संख्या 44 के मुताबिक खसरा संख्या 78 रकबा 11.15 बीघा, खसरा संख्या 106 रकबा 12.10 बीघा एवं खसरा नं. 385 रकबा 24.02 बीघा भूमि **खाकीदास पिता प्रभूराम जाति साद के नाम से दर्ज है।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 120, 315 एवं 417 को वाद के विचारण तक संरक्षित रखने के लिए मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश पारित किये गये है। अपीलांट का कथन है कि पारिवारिक बंटवाड़े से खाता संख्या 67 की भूमि रकबा 124 बीघा 10 बिस्वा अपीलांट व उसके भाई बंशीलाल एवं मिश्रीदास के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हिस्से में रखी गई तथा खाता संख्या 66 की सम्पूर्ण भूमि 48 बीघा 07 बिस्वा अपीलांट के भाई खाकीदास के हिस्से में रखी गई। खाकीदास द्वारा कपटपूर्वक खाता संख्या 67 उक्त भूमि में अपना हिस्सा बताकर दिनांक 30.10.2014 को बेचान निष्पादित करवा दिया। उक्त बेचाननामा के आधार पर रेस्पोडेंट्स अपीलांट् के कब्जे काश्त में बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है, इसलिए भूमि पर तहसीलदार बिलाड़ा को रिसीवर नियुक्त किया जावें। अपीलांट द्वारा पारिवारिक बंटवाड़े के संबंध में किये गये कथनों के समर्थन में **कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।** वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है, इसलिए वादग्रस्त भूमि का रिसीवर नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं लगता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2018 मोतीदास बनाम पूनमदास वगैरह में पारित आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2019 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर